

अमेरिका प्रतस्पर्द्धा अधिनियम

संयुक्त राज्य अमेरिका ने महत्त्वाकांक्षी अमेरिका करिएटिगि अपॉरचुनटीजि फॉर मैन्युफैक्चरिंग, प्री-एमनिस इन टेक्नोलॉजी एवं इकोनॉमिक स्ट्रेंथ (COMPETES) एक्ट, 2022 का अनावरण किया है जो एक नए स्टार्ट-अप वीजा के साथ दुनिया भर के प्रतभाशाली व्यक्तियों के लिये नए रास्ते खोलने का प्रस्ताव करता है। .

- इसका उद्देश्य आपूर्त शृंखलाओं को मजबूत बनाना और आने वाले दशकों में चीन तथा बाकी दुनिया को पछाड़ने हेतु देश की अर्थव्यवस्था के नवाचार को फरि से मजबूत करना है।

प्रमुख बढि

■ प्रावधान:

- यूएस में सेमीकंडक्टर उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये 52 बलियन अमेरिकी डॉलर और अन्य कार्यक्रमों के बीच आपूर्त शृंखला में लचीलापन, वनिरिमाण में सुधार के लिये अनुदान तथा ऋण हेतु 45 बलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवधान है।
- सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और आप्रवासन को संबोधित करने हेतु वित्तपोषण। उदाहरण के लिये यह एस्टीईएम (वजिज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या गणति) पीएचडी के लिये ग्रीन कार्ड सीमा से छूट प्रदान करता है तथा उद्यमियों के लिये एक नया ग्रीन कार्ड बनाता है।
 - ग्रीन कार्ड धारक (स्थायी नवासी) वह व्यक्ति होता है जिसे स्थायी आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने और कार्य करने का अधिकार दिया गया है।
- यह वधियक/बलि चीन के शनिजियांग में नरिमति सौर घटकों पर संयुक्त राज्य अमेरिका की नरिभरता को कम करने हेतु वनिरिमाण सुवधियों के नरिमाण के लिये प्रतविरष 600 मलियन अमेरिकी डॉलर जारी करता है।
- यह कसिी स्टार्ट-अप इकाई में एक स्वामतिव हति वाले उद्यमियों, एक स्टार्ट-अप इकाई के आवश्यक कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी और बच्चों के लिये गैर-आप्रवासियों की एक नई श्रेणी- 'W' बनाता है।

■ महत्त्व:

- इसका अर्थ यह है कि अमेरिका में भारतीय प्रतभाओं और कुशल कामगारों के लिये अधिक अवसर उपलब्ध होंगे।
- ज्ञात हो कि प्रतविरष कई भारतीय और भारतीय कंपनियों, उस वर्ष जारी किये गए एच-1बी 'वर्क परमिट' का एक बड़ा हसिीसा प्राप्त करती हैं। इस नई श्रेणी के साथ भारतीय पेशेवरों द्वारा उन अवसरों को प्राप्त करने की भी संभावना है, जो अधिनियम द्वारा प्रदान किये जाएंगे।

वर्क वीजा:

■ परिचय:

- भारत जैसे विकासशील देशों में आईटी क्रांति, इंटरनेट और कम लागत वाले कंप्यूटरों के आगमन ने अमेरिका में अपेक्षाकृत कम लागत पर काम करने के इच्छुक लोगों की संख्या को जन्म दिया है जो नयिकता और कर्मियों दोनों के लिये एक बेहतरीन स्थिति है।
- अमेरिकी प्रशासन आईटी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में अत्यधिक कुशल कम लागत वाले कर्मचारियों के रक्ति स्थान भरने हेतु प्रत्येक वर्ष एक नश्चित संख्या में वीजा जारी करता है।
- ये वीजा अमेरिका के बाहर की कंपनियों को क्लाउंट साइटों पर काम करने के लिये कर्मचारियों को भेजने की अनुमति देते हैं।

■ वीजा के वभिनिन प्रकार:

○ H1-B वीजा:

- संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार के इच्छुक लोगों को H1-B वीजा प्राप्त करना आवश्यक होता है। H1-B वीजा वस्तुतः 'इमिग्रेशन एंड नेशनलटि एक्ट' (Immigration and Nationality Act) की धारा 101(a) और 15(h) के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार के इच्छुक गैर-अप्रवासी (Non-immigrants) नागरिकों को दिया जाने वाला वीजा है।
- यह अमेरिकी नयिकताओं को वशिषज्जतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर वदिशी कर्मचारियों को नयिकत करने की अनुमति देता है।

○ H2-B वीजा:

- इस तरह के वीजा का आवेदन करने के लिये आवेदन पत्र को शर्म वभिग से प्रमाणित होना चाहिये। यह अस्थायी रोजगार के लिये जारी किये जाता है।

○ L-1 वीजा:

- यह एक गैर-प्रवासी वीज़ा है जिसके तहत कंपनियों वदिशी कर्मचारियों को अमेरिका में मौजूद अपनी सहायक कंपनियों या फरि मूल कंपनी में रख सकती हैं।
- **H-4 वीज़ा:**
 - H1-B वीज़ा धारकों के आश्रति परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी) को एक H-4 वीज़ा जारी कया जाता है जो क H1-B वीज़ा धारक के साथ उनके प्रवास के दौरान अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। H-4 वीज़ा के तहत मुख्य आवेदक H1-B वीज़ा धारक ही होता है। H-4 वीज़ा के लिये परिवार के सदस्य जैसे पति/पत्नी, 21 वर्ष से कम आयु के बच्चे अर्हता प्राप्त हैं और अपने देश के ही अमेरिकी वाणजिय दूतावास में आवेदन कर सकते हैं।
- **J-1 वीज़ा:**
 - यह कार्य-अध्ययन से संबंधति ग्रीष्मकालीन कार्यक्रमों पर छात्रों हेतु है।

स्रोत- इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/the-america-competes-act>

